



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082024-256294
CG-DL-E-12082024-256294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3097]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/श्रावण 21, 1946

No. 3097]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/SHRAVANA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2024

का.आ. 3251(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' (पैन: AAAGU0182Q), भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

- केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान
- आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, रद्दी की बिक्री, पीवीसी कार्ड सहित शुल्क/सदस्यता
- प्रमाणीकरण, पंजीकरण तथा प्राप्त किए गए अद्यतन सेवा प्रभार;
- सावधि जमा /मियादी जमा; तथा
- बैंक जमाओं पर व्याज

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण'—
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 तथा 2028-2029 के लिए लागू होगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 तथा 2027-2028 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 100/2024/फा. सं. 300196/13/2023-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)